

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1631] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, मई 3, 2018/वैशाख 13, 1940 No. 1631] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 2018/VAISAKHA 13, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

का.आ. 1817(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 मई, 2018 को उक्त संहिता की धारा 227 से धारा 229 (दोनों सम्मिलित) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. 30/23/2018-दिवाला अनुभाग]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2018

S.O. 1817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2018 as the date on which the provisions of Section 227 to Section 229 (both inclusive) of the said Code shall come into force.

[F. N. 30/23/2018-Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

2484 GI/2018